पैमाइश के लिए ऑनलाइन समय, अत्याचार पीड़ितों को समय पर मदद

ईज ऑफ लिविंग : सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की पहल, दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग स्थल होंगे आरक्षित

मोहद तिवारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार आम लोगों के कामकाज को सहज बनाने के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत भूमि की पैमाइश व अत्याचार पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग स्थल आरक्षित करने के साथ कई अन्य पहल भी होने जा रही है।

जमीन पैमाइश की परेशानियों को देखते हुए राजस्व विभाग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। पैमाइश के लिए समय-सीमा तय करने की भी योजना है। इससे लोगों को लेखपाल से लेकर तहसील तक के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। इसी तरह समाज कल्याण विभाग अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। यह सहायता तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए एनआईसी के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन अथवा एक माह के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया जाए।

आरक्षित पार्किंग के दुरुपयोग पर जुर्माना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण उपलब्ध कराने की अपनी नीति के तहत सरकार पार्किंग स्थलों पर दिव्यांगों के लिए स्थान आरक्षित करने जा रही है। वहीं, उक्त आरक्षित स्थान पर यदि किसी अन्य द्वारा वाहन पार्क किया जाएगा तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।

बस स्टॉप पर गाड़ियों का रूट चार्ट

प्रमुख महानगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और सुविधाजनक बनाने के लिए बसों के रुकने हेतु बस स्टॉप तय करने, वहां पहुंचने वाली बसों के समय दिखाने, रूट चार्ट व उनके आने-जाने की सूचना उपलब्ध कराने की योजना है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इसके लिए 30 जून तक का समय रखा है। पहले चरण में 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना पर काम हो रहा है।

ऑनलाइन पता चलेगा लैंड यूज

सरकार निर्मित भू-उपयोग की अवहेलना के साथ शहरों के सुनियोजित विकास के लिए जीआईएस बेस्ड महायोजना तैयार करने का काम कर रही है। 59 शहरों में केंद्र की अमृत योजना के अंतर्गत जीआईएस आधारित महायोजना तैयार का कार्य शासन स्तर पर युद्धस्तर किए जाने की कार्यवाही चल रही है। महायोजना प्रकाशित होने के बाद शहरों में लैंड यूज ऑनलाइन देखा जा सकेगा।